

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

निर्माण एवं वन वि० वि० विभाग
कन्कोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं वन वि० वि० विभाग
कन्कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
सर्वेक्षक वन प्रभाग, वन विभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
कन्कोट

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा।